

14

4

प्लॉट नं. पत्थर नं. मु.नं. किला नम्बर  
22 एचएमएच. 112/294 82 4, 7, 14,17, 24 प्रत्येक में 198 हैक्ट.

कुल 0.990 हैक्टेयर मय गैर मुमकिन किला नं. 5, 6, 15, 16, 25 प्रत्येक में 0.253 हैक्टेयर कुल 1.265 है. मय गैर मुमकिन रास्ता

के खातेदार काफ्तकार है। इसी अनुसार खाता तकसीम किया जाता है। खर्चा पक्षकार अपना अपना वहन करे। इसके अलावा इस भूमि बाधत भविष्य में कोई बकाया होगा तो उसकी भरपाई की ज़ुम्मेवारी उन पक्षकार की होगी जिनके पक्ष में भुगि आई है। पक्षकार भविष्य में रास्ता खाळा का कोई विवाद नहीं करेगे। भविष्य में किसी अन्य से रास्ता खाळा नहीं मांगेंगे। अगर किसी अन्य रास्ता खाळा की जरूरत पडती है तो आपसी समझौते से उसे रास्ता, खाळा उपलब्ध करवाएंगे। किसी अन्य से रास्ता, खाळा की मांग नहीं करेगे।

तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भारमुक्त होने की दशा उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अकंन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किरम (यथा नहरी/विरानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावे। खर्चा फरीकेन अपना - अपना वहन करेगे। आदेशानुसार पर्चा डिकी जारी की जावे पत्रावली निर्णय शूमार होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

आदेश आज दिनांक 06/09/20 को मेरे द्वारा लिखाया गया खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डा. अवि गर्ग)  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहयोगी किलक्टर  
हनुमानगढ़।

प्रमाणित प्रतिलिपि

सिडर  
उपखण्ड अधिकारी  
हनुमानगढ़

मिलान किया

